संख्या-291/2023/2701/001-23-9002(002)-29-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2023**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-29 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 30 लघु सेतु परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/317/राज्य परियोजना विभाग/आरआईडीएफ-04/आर.आई.डी.एफ.-29/2023-24, दिनांक 01.12.2023 एवं मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0 के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-29 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 30 लघु सेतु परियोजनाओं, लागत रू0 31,48,03,000/- (रूपये इकतीस करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष निम्नानुसार रू0 25,18,43,000/- (रूपये पचीस करोड़ अठ्ठारह लाख तिरालीस हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 1984.30 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 534.13 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग) , लो0नि0 वि का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लागत	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि		
					अनुदान सं 0-57	अनुदान सं 0-83	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	393/सेतु, दि0 06-03-2023	आगरा	जनपद आगरा में सिंगाइच करबल सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-2 में स्थित लघु सेतु का पुन:निर्माण कार्य।	80.04	50.45	13.58	64.03
2	351/सेतु, दि0 28-02-2023	मथुरा	जनपद मथुरा में सांचौली मार्ग के कि0मी0 2 में स्थित पखरपुर ड्रेन पर लघु सेतु निर्माण	49.13	30.96	8.34	39.30
3	376/सेतु, दिनांक 03-03-2023	मथुरा	मथुरा में आजनौंख से पिसावा वाया लोधोली मार्ग के कि0मी0-3(चैनेज-2.150) में स्थित बठेन ड्रेन पर लघु सेतु का निर्माण।	80.41	50.69	13.64	64.33
4	337/सेतु, दि0 25-02-2023	अलीगढ़	जनपद अलीगढ में साथा चीनी मिलसे मीरपुर होते हुए हरदुआगंज मार्ग पर स्थित साथा नाले पर कि0मी0-4 में क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 2 x2 मी0 के 03 सेल की बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	53.21	33.54	9.03	42.57
5	481/सेतु, दि0 16-03-2023	हाथरस	जनपद हाथरस में कैलोरा बरवाना मार्ग के शेष भाग पर बाक्स कल्वर्ट निर्माण कार्य	36.26	22.86	6.15	29.01
6	315/सेतु, दि0 22-02-2023	एटा	जनपद एटा में सैनाकलॉ ईशन नदी पर 3x5 मी0 स्पान का पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	175.12	110.38	29.72	140.10
7	356/सेतु, दि0 28-02-2023	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में रम्पुरा उझैनिया एहतमाली मार्ग के चैनेज 0.650 में स्थित देवहा नदी का पूरक नालों पर 3 सेल 6x5 मी0 बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	170.81	107.67	28.98	136.65
8	354/सेतु,	शाहजहांपुर	बन्दरिया से बमरौला अर्जुनपुर सम्पर्क मार्ग के बीच सिवई नाले पर	133.21	83.97	22.60	106.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	दि0 28-02-2023		आर0सी0सी0 लघु सेतु, सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य				
9	294/ नदी सेतु, दि0 01-03-2023	संतकबीर नगर	लोहरौली जंगल दशहर मार्ग से बैरियहवा मार्ग पर 2×6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	130.79	82.44	22.19	104.63
10	366/नदी सेतु, दि0 17-03-2023	सिद्वार्थ नगर	जनपद सिद्वार्थनगर में हाटा विशुनपुर मार्ग के कि0मी0-1 में राप्ती नदी के सोते पर निर्मित ध्वस्त पुलिया के स्थान पर 1x6 मी0 लम्बाई के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	64.61	40.73	10.96	51.69
11	349/सेतु, दि0 15-03-2023	बहराइच	जनपद बहराइच में डल्लापुरवा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-3 में 5x4.00x4.00 मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य।	130.15	82.04	22.08	104.12
12	330/नदी सेतु, दि0 09-03-2023	श्रावस्ती	बेनीडिहवा सम्पर्क मार्ग पर 3×3×3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य ।	113.21	71.36	19.21	90.57
13	1230/सेतु, दि0 10-03-2023	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में ग्राम दहिनी मार्ग के थोठी नाले में 3x6.०० मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य	140.39	88.49	23.82	112.31
14	1196/सेतु, दि0 01-03-2023	बांदा	जनपद बांदा में संग्रामपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में 3x6 मी0 स्पान का बाक्स कल्वर्ट सेल(लघु सेतु) के निर्माण कार्य।	178.42	112.46	30.28	142.74
15	1263/नदी सेतु, दि0 16-03-2023	महोबा	जनपद महोबा में जे0एम0 से रिछारा मडवारी मार्ग के कि0मी0-3 में क्योलारी नदी पर आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट (5x5) मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य।	134.75	84.94	22.86	107.80
16	352/सेतु, दि0 15-03-2023	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में पटना पौहरिया मार्ग पर 2x6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण,पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	144.70	91.21	24.55	115.76
17	353/सेतु, दि0 15-03-2023	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में श्रीराम जानकी मार्ग से कौटिया निरंजन मार्ग पर २x6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	144.73	91.22	24.56	115.78
18	219/सेतु, दि0 17-02-2023	महराजगंज	चौरी मौलागंज हंसखोरी मार्ग (अ0जि0मा0) के खोरनहिया नाला पर 3 गुणे 6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	188.23	118.64	31.94	150.58
19	276/नदी सेतु, दि0 24-02-2023	कुशीनगर	कुशीनगर में जिगना से साखोपार सम्पर्क मार्ग पर 3x3 मी0 स्पान के 02 सेल बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	74.32	46.85	12.61	59.46
20	1191/नदी सेतु, दि0 01-03-2023	ललितपुर	बसवां सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-3 में 3x3x3 मी0 स्पान का बाक्स सेतु(लघु सेतु) के निर्माण कार्य।	47.04	29.65	7.98	37.63
21	1205/नदी सेतु, दि0 01-03-2023	जालौन	जनपद जालौन में सुलतानपुरा मार्ग के कि0मी0-1(चैनेज-0.400) में बिल्लौड़ नाला पर 3x4.00 x4.00 मी0 (बाक्स कल्वर्ट) लघु सेतु के निर्माण कार्य।	74.75	47.12	12.68	59.80
22	1208/सेतु, दि0 01-03-2023	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में सिकन्दरा झींझक रसूलाबाद मार्ग से जिगना सम्पर्क मार्ग पर 2x6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया(लघु सेतु) के निर्माण कार्य।	57.25	36.09	9.71	45.80
23	1171/सेतु, दि0 24-02-2023	फर्रूखाबाद	बलीपट्टी से मंझा की मढैया के कि0मी0-1 में 4x6 मी0 लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	153.72	96.9	26.08	122.98
24	1254/ नदी सेतु, दि0 15.03-2023	सीतापुर	जनपद सीतापुर में पसिगवां सम्पर्क मार्ग पर 1×6 मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य ।	61.07	38.5	10.36	48.86
25	1201/सेतु, दि0 01.03.2023	उन्नाव	जनपद उन्नाव में एम0एम0यू0 से राजा खेड़ा मार्ग के कि0मी0-1 में राजा खेड़ा नाले(स्थानीय नाला) पर स्थित 2x4 मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण कार्य।	68.73	43.32	11.66	54.98
26	277/सेतु, दि0 17.02.2023	बिजनौर	जनपद बिजनौर में नरूल्लापुर से चन्दनवाला मार्ग पर क्षतिग्रस्त ह्यूम पाइप के स्थान पर लघु सेतु	93.48	58.92	15.86	74.78
27	259/नदी सेतु, दि0 23-01-2023	मीरजापुर	मटिहरा कोलना बस्ती सम्पर्क मार्ग पर 6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	90.47	57.03	15.35	72.38
28	291/नदी सेतु, दि0 01-03-2023	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में बैरपुर सागरदाह सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में लघु सेतु के निर्माण कार्य।	91.93	57.94	15.60	73.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	377/सेतु, दि0 03-03-2023	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में पीर माजरा महंगी धानवा (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0-13 में क्षतिग्रस्त, संकरी एवं डाट पुलिया के स्थान पर 3/33/0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	93.10	58.68	15.80	74.48
30	1200/नदी सेतु, दि0 01-03-2023	प्रयागराज	भीरपुर पनासा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-3 पर 2×6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य।	94.00	59.25	15.95	75.20
			योग	**3148.03**	**1984.30**	**534.13**	**2518.43**

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 , दिनांक 19.05.2023 के अनुसार लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नाबार्ड शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक- 19-सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 19,84,30,000 (रुपये उन्नीस करोड़ चौरासी लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013600 प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 5,34,13,000 (रुपये पांच करोड़ चौंतीस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892100 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-922-X-2023-24, दिनांक-13-12-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या उपरोक्त तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
13- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।